

275-20413  
25-3-20

206/1  
24-3-22

सेवा में,

श्रीमान उत्तर नौसुन्द ओडियो टिकटक प्राधिकरण  
जनसूचना अधिकारी महोदय जनपद गौतमबुद्धनगर

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न लिखित सवालों के जवाब जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया जाना चाहिए में अति आवश्यक है जो निम्न प्रकार है:-

प्रश्न-1 घूर्खण्ड संख्या 2 पाकेट A क्षेत्रफल 2360 वर्गमीटर ग्राम कार पत्रांक सं सम्पत्ति / किसान आवादी 2009 / 1934 दिनांक २७/११/२० को पर्याप्त जारी किया गया था। इस पर्याम पर घूर्खण्ड आवृत्ति किया गया। वह भूमि व्या प्राधिकरण द्वारा अद्याहृत है व अतिक्रम कुर्ता है।

प्रश्न-2 उक्त घूर्खण्ड तिस भूमि पर सिवायित है क्या उक्त तिवारी (सविर, रोड, फैन, स्प) कराया जा चुका है।

P10 Land  
A  
25/3/22

प्रश्न-3 यह घूर्खण्ड पर आवाहित कर्ता नियमानुसार पोस्टल आर्डर सं. ८८९ ८६२९५८ के द्वारा न्यायशुल अदा कर रहा है।

दिनांक:- २५/०३/२०२२

प्रार्थी  
पंडित पाण्डित भूमि

Plot No. - ५०१, T-  
Parsvnath Panoram  
Society, Gh. Noida.  
Mob. No - 999950542

सलग्नक-

1. पोस्टल आर्डर सं. ८८९ ८६२९५८
2. आवंटन प्र

# गेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच - 169, सेक्टर - गामा, चितवन एस्टेट, गेटर नौएडा सिटी, जिला - गैंगतम बुद्ध नगर

ट्रॉफी नं 0 : 95120-2326150/151 फ़ैक्स नं 95120-2326143/145

प्रकाश : सम्पादित / छित्रण कार्यालय 2009 //

तिथि : 27-11-2009

बारिट प्रबन्धक (सम्पादित)

गेटर नौएडा प्राधिकरण

LAXMAN SINGH,

S/W/D/o RAM SAWROOP SINGH,

पता : VILL-CHUHARPUR KHADER  
G B NAGAR

महोदय महोदया

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपको ग्राम CHUHARPUR KHADER की प्रस्तावित आवादी को ग्राम KASNA की प्रस्तावित 3 अमुख्य संघर्षा 2 पार्कट A क्षेत्रफल 2360 घरगुट आवादी विस्तार हेतु आवधित करने का निर्णय लिया गया है।

अब आपसे अनुरोध है कि रु 1737786.00 देय तिथि तक गेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा (शांपिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर गामा, गेटर नौएडा में जपा करना सुनिश्चित करें। इस आवंटन में निम्नलिखित शर्तों की बाब्ता अनिवार्य होगी:

आवंटन संख्या : CHU012306


## मुकामान पद्धति

मुकामान कोड	देय तिथि	देय धनराशि
Development Amount	12-12-2009	1737786
Water Charges		1200.00
Sewer Charges		2800.00

- इस भूखण्ड पर भवन निर्माण 6 वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा।
- निर्माचन समय अर्थात् में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- इस भूखण्ड पर भवन नियमावली (ग्रामीण) की शर्तों के अनुसार निर्माण करना आवधिक होगा।
- इस भूखण्ड के हस्तान्तरण पर तीन वर्ष तक प्रतिक्रिया होगा। प्रतिवर्ष के विपरीत यदि भूखण्ड को आंदठी / कृषक द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है तो विवात में अहं-कृपक अंगी को छाप्त 12% के बोटे के अन्तर्गत भ्रातुर्करण की आवासीय योजनाओं में शास्त्र आग्रहण सुविधा में विधित कर दिया जाएगा।
- पट्टा पर्सीकरण वा धनराजि पट्टा निपादन के समय ही मुकामान करनी होगी।
- आवादी द्वारा भूखण्ड के क्षेत्रफल में यदि वाणिज्यिक गतिविधि के उपर्योग हेतु अनुमति मार्गी जाती है तो ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क अति देय होगा।
- आवंटन भूखण्ड के तंत्रात ज्ञान में भूखण्ड के क्षेत्रफल में घटन / घटन भी हो सकती है जो आवंटी द्वारा भाव्य होगी।

उपरोक्त के अंतर्गत यदि स्वामित्व / परम्परागत कृषक / नियास के सम्बन्ध में सूचना गलत पाई जाती है तो आवादी हेतु भूखण्ड का आवंटन स्वतः ही समझ जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कराते हुए जपा धनराशि के चालान की एक प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराना मुर्मिश्चित करें।

Signature :   
 Date : 27/11/2009  
 Name : Laxman Singh  
  
 Date : 27/11/2009  
 Name : D/o Ram Sawroop Singh

